VENKATESWARLU): (a) to (d) The facilities to be provided in the Counter Magnet Cities under the NCR Plan essentially relate to the development of infrastructure for shelter, environmental improvement and economic activities.

Towards this the State Governments required to finalise a development plan comprising a list of projects as well as the annual action plans. A 'development fund' is constituted for each of the counter magnet cities for undertaking the projects under the development plans through long term loans provided by the NCR Planning Board with matching share from the State Governments. This is in addition to the normal developmental activities undertaken by the State Governments through their own budgetary resources.

As the contribution by the NCR Planning Board to the Development Fund is dependent upon the requirements projected by the States for the cities incorporated in the plan which are vetted and approved by the Project Sanctioning Committees, the progress of the implementation of ongoing projects and the matching share provided by the State Government, no ceiling/time limit has been prescribed on city basis.

So far, the amount released towards the development fund of the Counter Magnet Cities by the NCR Planning Board is as under:-

		Rupees in crores
(i)	Bareilly (Uttar Pradesh)	4.0
(ii)	Kota (Rajasthan)	2.0
(iii)	Patiala (Punjab)	1.0
(iv)	Gwalior (Madhya Pradesh)	1.0
(v)	Hissar (Haryana)	NIL

ग्रामीण विकास तथा रोजगार संबंधी योजनाओं की समीक्षा

***135. श्री राम जेठमलानी:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण विकास और रोजगार संबंधी चल रही विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में खामियों के कारण सरकार इन योजनाओं की व्यापक समीक्षा करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इनके क्रियान्वयन में कौन-कौन सी खामियां पाई गई हैं; और

(ग) इन खामियों को कब तक दूर किए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री वाई॰ के॰ नायडू) : (क) से (ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना तथा सुनिश्चित रोजगार योजना प्रमुख ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम हैं, जिन्हें विभिन्न राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के दौरान प्राप्त हुए अनुभवों के परिप्रेक्ष्य में, इन कार्यक्रमों की समीक्षा करने तथा उनके क्रियान्वयन में सुधार लाने हेतु सुझाव देने के लिए कुछ समय पूर्व विशेषज्ञ समितियों का गठन किया गया था। आई॰ आर॰ डी॰ पी॰ संबंधी डी॰ आर॰ मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर आई॰ आर॰ डी॰ पी॰ के क्रियान्वयन में उपयुक्त संशोधन किए गए तथा कार्यक्रम में सुधार लाने के लिए कई प्रयास भी किए गए। इसके अन्तर्गत प्रति परिवार निवेश को बढ़ाने, ऋण का लक्ष्य निर्धारित करने, ढांचागत विकास के लिए आबंटन में वृद्धि करने, सामूहिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने तथा शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए लाभार्थियों की नई श्रेणी का पता लगाने संबंधी कदम शामिल है। सुधार के लिए किए गए अन्य उपायों में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में बदली परिस्थितियों के अनुकूल डी॰आर॰डी॰ए॰ का पुनर्गठन, लाभार्थियों का पता लगाने और चयन करने में ग्राम सभा की बढ़ी हुई भागीदारी, गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले समस्त परिवारों को आई॰आर॰डी॰पी॰ के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने योग्य बनाने के लिए सीमा रेखा (पूर्व में 8500 रुपये पर निर्धारित) को समाप्त करना तथा 213 जिलों तक परिवार ऋण योजनाओं को फैलाना शामिल है।

ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों का पुनर्गठन करने संबंधी समिति की सिफारिशों के आधार पर, जवाहर रोजगार योजना तथा सुनिश्चित रोजगार योजना के श्रम रोजगार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भी संरचनात्मक परिवर्तन किए गए थे। तदनुरूप, नीचे बताए अनुसार सरकार ने 1.1.96 से श्रम रोजगार कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है:

(1) इंदिरा आवास योजना तथा दस लाख कुंओं की योजना, जो कि प्रतिशतता के आधार पर निधियों के आबंटन के साथ जवाहर रोजगार योजना (प्रथम चरण) की उप योजनाएं थीं को इससे अलग कर स्वयं में ही स्वतंत्र योजनाएं बना दी गई है।

(2) जवाहर रोजगार योजना (प्रथम चरण) का शेष भाग, जिसमें डी०आर०डी०ए० (20 प्रतशत) और पंचायतों (80 प्रतिशत) का हिस्सा शामिल है, पूर्व के समान ही जारी रहेगा।

(3) नवीन प्रकृति की प्रायोगिक परियोजना को चलाने हेतु नवीन जवाहर रोजगार योजना (तृतीय चरण) की जे०आर०वाई० की निधियों के 5 प्रतिशत अंश अथवा अधिकतम 75 करोड़ रुपये समरूप निर्धारण के साथ जारी रखा जाएगा।

(4) ग्रामीण आवास योजना को इंदिरा आवास योजना के साथ मिला दिया गया है और एक साथ समामेलित दोनों योजनाओं को अब इंदिरा आवास योजना के रूप में जाना जाएगा।

(5) जवाहर रोजगार योजना के द्वितीय चरण अर्थात् गहन जवाहर रोजगार योजना को 1.1.1996 से सुनिश्चित रोजगार योजना के साथ मिला दिया गया है तथा इस योजना को पूर्व गहन जवाहर रोजगार योजना के 120 जिलों के उन समस्त शेष ब्लाकों में विस्तारित कर दिया गया है, जहां सुनिश्चित रोजगार योजना नहीं है।

उपर्युक्त विवरण में यह देखा जा सकता है कि सरकार कमियों को दूर करने तथा कार्यक्रमों को अत्यन्त प्रभावी बनाने के लिए समय-समय पर हर संभव कदम उठाती रही है।

कच्चे पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

*136. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान कच्चे पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का अनुमानतः कितनी मात्रा में आयात किया जाएगा;

(ख) आयात किए जाने वाले कच्चे पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की अनुमानित लागत डालर और रुपये में कितनी कितनी है;

(ग) इन उत्पादों का लम्बी अवधि के ठेके के अंतर्गत कितनी मात्रा में आयात किया गया और खुले बाजार से कितनी मात्रा में खरीदा गया; और

(घ) अप्रैल से दिसम्बर, 1995 के बीच किए गए आयात के आधार पर उक्त वर्षों के दौरान सभी स्रोतों से आयातित कच्चे तेल की औसत परिवहन लागत डालर और रुपये में कितनी-कितनी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० आर० बालू): (क) और (ख) वित्त वर्ष 1995-96 के दौरान आयात किए गए कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा और लागत निम्नानुसार है:

(1995-96)
(अनन्तिम)

पी ओ एल	मात्रा एम एम टी	मूल्य करोड़ रुपये	मिलियन अमेरिकी डालर
कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पादन	47.677	24095	7101.8

1996-97 के तेल अर्थ बजट के अनुसार वर्ष के दौरान आयात किए गए कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा 49.276 एम एम टी होने का अनुमान है जिसकी अनुमानित लागत 7590.5 मिलियन अमेरीकी डालर है।

(ग) दीर्घावधि संविदा के अंतर्गत किए गए आयात और खुले बाजार से की गई खरीद निम्नानुसार है:—

मात्रा एम एम टी में (अनन्तिम)

1995-96		अप्रैल-जून, 1996	
निबंधन के अंतर्गत	खुले बाजार से	निबंधन के अंतर्गत	खुले बाजार से
क्रूड और पेट्रोलयम उत्पाद 27.655	20.042	7.596	5.982

(घ) नाइजीरियाई/आस्ट्रेलियाई ग्रेडों जिनकी व्यवस्था सी एंड एफ आधार पर की जाती है, के अतिरिक्त कच्चे तेल के आयातों की व्यवस्था केवल एफ ओ बी आधार पर की जाती है। सी एंड एफ आयातों में लागत और भाड़ा अवयव संयुक्त आधार पर सम्मिलित होते हैं और इसीलिए माल-भाड़ा अवयव अलग से उपलब्ध नहीं है।